Budget for further improving the investment climate in general and removing infrastructural bottlenecks for accelerated overall industrial growth including paper and cement sectors. Measures to increase the production/availability of paper in the country, interalia, also include levy of low excise duty on paper manufactured with not less than 75% non-conventional raw material, reducing excise duty on wood based paper and paper board, reducing custom duty on import of wood logs and wood chips, coal and chemicals used in the paper industry.

(c) Decelcration in industrial growth in 1996-97 has mainly been due to under performance of crude petroleum, consumer durables, electricity and capital goods.

MNCs not bringing the latest technology

1294. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries has stated that multinational companies (MNCs) are not brining the latest technology with them, as reported in the Hindu dated 26th May, 1997;

(b) if so, whether at the time of giving approvals for foreign collaboration agreement or while setting up 100% foreign subsidiaries does such agreements contain adoption of latest technology;

(c) if so, whether any monitoring is done that the conditions regarding adoption of latest technology has been fulfilled; and

(d) if not, what action is taken in such cases?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) The Newspaper Report of 26th May in "The Hindu" pertains to a Conference held in Delhi on the "Impact of Globalization on Industrial Relations" and probably refers to the Discussion Paper circulated on behalf of a Professor of IMI, New Delhi. Views expressed in the Paper are, thus, not of FICCI.

(b) to (d) The joint ventures are entered into by the Indian companies with foreign collaborators with mutual agreements as per their commercial judgements and the technology transfer, if envisaged, is expected to be of the latest technology or otherwise with the induction of interior technologies, such companies would not be able to withstand the market conditions.

लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु उठाये जाने वाले कदम

1295. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) देश में लघु उद्योग इकाइयों को किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) लघु उद्योगों को उनकी रूग्णता को दूर करने के लिये सहायता देने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिये संरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूची वाणिज्यिक बैंकों से एकत्रित आंकडों के अनुसार रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों की कुल संख्या में मार्च, 1995 के अंत में 2,68,815 से मार्च 1996 के अन्त में 2,62,376 गिरावट आई है।

(ग) लघु उद्योगों द्वारा महसूस की जाने वाली प्रमुख समस्यायें निम्नलिखित है।

1. सीमित वित्तीय संसाधन,
2. संगठन, वित्तीय तथा प्रबंध कार्यकुशलता की कमी,
3. विकसित अवसंचरना की कमी,
4. विलम्बित और अपर्याप्त ऋण,
5. बड़े उद्योगों द्वारा विलम्ब से भुगतान,

6. विपणन में कठिनाइयां,

7. कच्ची सामग्री तथा विद्युत सहित अन्य आवकों की उपलब्धता में कठिनाइयां।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय पहलुओं पर वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बैंकों को लघु उद्योग को कार्यशील पूंजी ऋण सीमायें मुहैया कराने की सलाह दी गई है जो कि उन लघु उद्योग के लिए उनकी परियोजित वार्षिक आमदनी को कम से कम 20% के आधार पर गणना की गई हो जिनकी कुल निधि—आधारित कार्यशील पूंजी ऋण सीमा एक करोड़ रु० तक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सीमा को 2 करोड़ रु० तक बढ़ाने का हाल ही में निर्णय लिया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसके प्रारंभ से ही एकल खिड़की योजना चला रहा है जिसके अंतर्गत निर्धारित परिसम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी के लिए मिश्रित सहायता को उसी अभिकरण द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के लिए बढ़ाया जाता है। यह योजना राज्य वित्त निगमों, लघु उद्योग विकास निगमों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चलाई जाती है। यह सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए कि ऋण के वितरण में विलम्ब न हो, बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभ्यावेदन के निपटान के लिए समय सीमा का पालन करें। यद्यपि 25000 रु० की ऋण सीमा तक के आवेदक एक पखवाड़े में निपटाये जाने चाहिए इसलिए 25000 रु० से अधिक के आवेदन प्राप्त होने के 8 से 9 सप्ताह में निपटाये जाने चाहिए, सीमाओं में वृद्धि के लिए अनुरोधों पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए तथा हर हालात में छः सप्ताह के भीतर शीघ्रता से निर्णय लिया जाना चाहिए।

रूग्णता की समस्या से निपटने के लिए, नायक समिति ने कतिपय सिफारिशें की तथा तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा संशोधित करने, पुनर्वास के लिए ब्याज दर कम करने, पता लगाये गई रूग्ण इकाइयों का शीघ्र व्यावहमिता अध्ययन। सुधार कार्यक्रमों, रूग्ण इकाइयों के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रों तथा मुख्यालय में कक्ष स्थापित करने तथा तकनीकी पहलुओं को देखने के लिए तकनीकी कर्मियों सहित विशेषज्ञ स्टाफ का प्रावधान करने की सलाह दी है।

Growth rate of Cement

1296. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that growth rate for the cement industry declined from 11.2% in 1995-96 to 9.5% in 1996-97; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The production and growth rate in the cement industry during the previous 3 years was as follows:—

Year	Production (in Million tonnes)	Growth Rate
1994-95	62.35	7.6%
1995-96	69.55	11.6%
1996-97	76.22	9.6%

The marginal decline in growth rate in 1996-97 was due to sluggish market conditions. However, the growth rate achieved by the cement industry is quite satisfactory and the target of 76 million tonnes fixed for the year was exceeded.

Approval for setting up of a holding company

1297. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government while granting approval for setting up a holding company requires the foreign investor concerned to reapproach Government for investment in the downstream subsidiary in the approved activity;

(b) whether Government will instead consider permitting the holding company to make the investment in the downstream subsidiary for the approved activity, while merely requiring it to provide all investment details to Government on a periodical basis;